

7-1-22

कडील वारी उपस्थित। प्रति वारी अनु-  
कडील वारी को प्रतिवर्षीगण की तलबी  
हुनु कई अवसर दिये जा चुके हैं, बावजूद  
इसके वारी द्वारा आप दिनांक तक प्रति-  
वारी की तलबी नहीं करवाई गई, अतः  
वाद-वारी विरुद्ध परिवर्षीगण अन्तर्गत  
धारा 53, 89, 188 RTA में आदेश 09  
नियम 05 RW 151 सीपीसी की कार्यवाही  
अप्रल में लाई जाती है, 0-9, R-5  
के तहत वाद-वारी शरीज किया जाता  
है, पत्रावली फैसल शूमार लेकर नम्बर  
से कम बी, बाद तकमील जावता दाखिल  
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) रांची